मुख्य अभियंता–6 दरभंगा का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग।

पत्रांक– 7160 / दिनांक– 29.4.2025

प्रेषक,

ई० किशोर कुमार
मुख्य अभियंता–6

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दलसिंहसराय।

विषय:– MMGSUY योजनान्तर्गत कार्य प्रमण्डल, दलसिंहसराय के अधीन **MMGSUY-RRSMP/24-25-Dalsinghsarai/01 (Tender ID-139450)** कार्य की निविदा की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

विभागीय पत्रांक–मु0अ0(अ0उ0)4515–01–792/2025–1495 अनु0, दिनांक 28.04.2025 द्वारा संसूचित आदेश के अनुपालन में उपर्युक्त विषयक कार्य बिहार लोक निर्माण संहिता के कंडिका–163 के आलोक में इस कार्य को इसके योग्य सफल निविदाकार **TSPL & SBS-SK (JV) (BID ID-609047)** को उनके द्वारा निविदित दर, जो परिमाण विपत्र की दर से 0.11 (शून्य दशमलव एक एक प्रतिशत) कम है, को स्वीकृत करते हुए सम्पूर्ण कार्य कुल **35,55,71,203/–**(पैंतीस करोड पचपन लाख इकहत्तर हजार दो सौ तीन) रुपये मात्र की लागत पर आपकी अनुशंसा एव कार्यहित में आवंटित किया जाता है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वोदाहरण नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये संबंधित एन0एस0सी0/Fixed Deposit आदि का सत्यापन संबंधित डाकघर/बैंक से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायगा। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. एकरारनामा से पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि निविदाकार डिबार सूची/काली सूची या कार्य लंबित सूची में शामिल न हो।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्तो में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
9. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि न हो।
10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। पथ का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, **Bid Capacity** आदि का मिलान कर ही कार्य आवंटन आदेश निर्गत करेंगे। अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटन/**LOA** निर्गत करने से पूर्व मिलान कर लेंगे कि परिमाण विपत्र की राशि प्रशासनिक अनुमोदन की राशि के अनुज्ञेय सीमा के अन्दर है। यदि अनुज्ञेय सीमा से अधिक हो तो एकरारनामा के पूर्व पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
11. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु मासिक कार्य प्रोग्राम हस्ताक्षरित कराकर प्राप्त कर लेंगें जो की एकारारनामा का भाग होगा।
12. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जायेगी।
13. कार्य समाप्ति की अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार होगी।

TSPL

Kamal Nayan

कार्यपालक अभि...

14. [illegible] शीर्ष MMGSUY योजनान्तर्गत से [illegible] राशि [illegible] राशि से [illegible]

15. [illegible] प्रत्येक महीने की [illegible] तारीख तक निष्पादित कार्य से इस कार्यालय को समर्पित [illegible]

16. [illegible] कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के [illegible] आप आवश्यक निदेशों को [illegible]

17. [illegible] द्वारा दिये गये कागजात का [illegible] उनके मूल कागजात से मिलान [illegible] अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रमाणित [illegible] ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर को अभिलेख हेतु उपलब्ध करा देंगे। निदेश दिया [illegible] कार्य [illegible] प्राप्त कर लेंगे तथा उनका कार्यक्षमता कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति [illegible]

18. [illegible] की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।

19. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यालय [illegible] तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

20. [illegible] दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में [illegible] सिक्युरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

21. [illegible] जमीन पर नियमानुसार कार्रवाई किये बिना निर्माण कार्य नहीं कराया जाय।

22. [illegible] संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर [illegible] सुनिश्चित करेंगे।

23. [illegible] से पूर्व नियमानुसार Character Certificate and GST Clearance Certificate प्राप्त कर लेंगे। इसका [illegible] अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

24. [illegible] में JV के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये JV Agreement के अनुरूप होनी चाहिए। [illegible] किसी भी प्रकार का फेरबदल हेतु सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।

25. [illegible] संयंत्र एवं अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कागजात की [illegible]। कार्य स्थल पर यंत्र–संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करायेंगे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण [illegible] यंत्र–संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी जायगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जायगा।

26. कार्यपालक अभियंता कार्यावंटन आदेश प्राप्त होते ही संवेदक को अविलंब LOA (Letter of Acceptance) निर्गत करेंगे एवं (MBD की ITB की कंडिका 33.2 में निहित प्रावधान के आलोक में 15 दिनों के अन्दर Performance Security प्राप्त करते हुए एकरारनामा की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर Performance Security जमा नहीं करने की स्थिति में ITB की कंडिका 34.2 के आलोक में कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता के माध्यम से प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे। विशेष परिस्थिति में निर्धारित अवधि के पश्चात एकरारनामा करने हेतु Proper Justification के साथ प्रस्ताव उचित माध्यम से समर्पित करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे।

27. विभागीय पत्रांक–मु0अ0(अ0प0)4515–01–792/2025–1495अनु0, दिनांक 28.04.2025 के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर Letter of Acceptance (LOA) संबंधित संवेदक को निर्गत करेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु0 यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
मुख्य अभियंता–6

ज्ञापांक– 220 / दिनांक– 29.4.2025 /25

प्रतिलिपि–

1. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव, ब्राडा, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
2. अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
3. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सहायक आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता के ई–मेल आई0डी0 पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता–6